अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– **/पटना, दिनांक......................**

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **अन्य विभागों/निगमों द्वारा कालीसूची में डाले गये/मुक्त किये गये संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कतिपय संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग/ निगम का नाम	ज्ञापांक/दिनांक	अभ्युक्ति
1	संवेदक, Ragini Enterprises/Prop- Ragini Kumari (Regd No.- 2180136) At-Ward No.-01, Po+ Ps-Rajwara, Dist- Begusarai (निबंधन सं0–2180136)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–322 दिनांक–24.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
2	संवेदक, Deepak Kumar Pandit, At+Post-Kishanpur, Ps-Mahalgaon, Dist-Araria (निबंधन सं0–2150364)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–323 दिनांक–24.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
3	संवेदक, Punam Shukla, Bireshwar Prasad Shukla, At-Vill-Khanjahachak Urf Saidpur, Ps- Laalganj, Dist-Vaishali Pin-844121 (निबंधन सं0–3220279)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–486 दिनांक–31.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
4	संवेदक, Jitendra Singh, At+Po-Parsauna, Ps-Sangrampur, Dist-East Champaran, Pin-845417 (निबंधन सं0–2200836)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–411 दिनांक–28.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।

5	संवेदक, Rajeev Kumar, S/O-Shambhu Nath Chaudhary, Infront of M.I.T Telephone Exchange Gate Main Road, Bairiya Laxmi Chowk, Brahmpura, Dist-Muzaffarpur Pin-842003(निबंधन सं0–4210138)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–412 दिनांक–28.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
6	संवेदक, Sachchidanand Prasad Singh Suman, At-Vill-Rewa, Po-Basantpur, Ps-Saraiya, Dist-Muzaffarpur, Pin-843101 (निबंधन सं0–4190060)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–410 दिनांक–28.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
7	संवेदक, M/s Sify Digital Service Ltd. Chennai	शिक्षा विभाग	ज्ञापांक–2723 दिनांक–31.12.2024	संवेदक द्वारा विभाग के साथ किये गये एकरारनामा को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए इस परीक्षा एजेंसी को काली सूची में दर्ज (Black Listed) किया गया है।
8	संवेदक, श्री उपेन्द्र उमेश प्रसाद शर्मा, कोतवाली चौक, अन्नपूर्णा मंदिर, भागलपुर पिन--812001 (सूचीबद्धता सं०–34 / 2020)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक–63 दिनांक–10.01.2025	संवेदक को 03 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
9	संवेदक, मेसर्स SBD Green Energy and Infra India Pvt. Ltd. 349, Sector-40, Gurugram, Hariyana, Pin-122001(सूचीबद्धता सं०–901 / 2019)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक–15 दिनांक–03.01.2025	संवेदक को 05 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
10	संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, Po-Alawalpur, Ps-Gaurichak, Dist-Patna, Pin-803203 निबंधन सं०–BCD-Class-II/2230314	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–77 (भ०) दिनांक–02.01.2025	संवेदक को आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए निलंबित किया गया है।

अतः काली सूची में डाले गये संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।
अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023– **/ पटना, दिनांक**............

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023– 2032(E) ... **/ पटना, दिनांक**....02/04/25

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को CD सहित Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

25/3/2025

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)।

25.03.25

D:\A.V.S. FOLDER\SECTION-7 & 8\KALENDRA JEE & SIDHU NATH JHA\BLACK LISTING, SUSPENSION LETTER OF OTHER DEPT..DOCX

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक **Ragini Enterprises /Prop-Ragini Kumari,** (Regd No- **2180136**), **At – Ward No-01, Po+Ps-Rajwara, Dist-Begusarai, Bihar** को कार्य प्रमंडल, बायसी के अधीन योजनाशीर्ष **MMGSY(SC)** अन्तर्गत (1) मानीपुर से सरभाजिया एवं (2) सुरीगाँव से सुरीगाँव तक पथ का निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित था। जिसका एकरारनामा संख्या क्रमशः 13SBD/2019-20 एवं एकरारनामा संख्या–12SBD/2019-20 के अनुसार अनुरक्षण कार्य प्रारंभ की तिथि क्रमशः 30.05.2021, 27.12.2023 एवं अनुरक्षण कार्य पूर्णता की तिथि क्रमशः 29.04.2026, 26.12.2028 है।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उक्त पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, बायसी का पत्रांक–29 दिनांक–28.07.2023, पत्रांक–64 दिनांक–07.08.2023, पत्रांक–271 दिनांक–02.03.2024, पत्रांक–279 दिनांक–10.03.2024, पत्रांक–1337 दिनांक–01.06.2024 एवं पत्रांक–145 दिनांक–30.10.2023, 1358 दिनांक–01.06.2024 के माध्यम से संवेदक को रूटीन मेंनटेन्स का कार्य करने हेतु नोटिस किया गया। परन्तु संवेदक द्वारा एकरारनामा शर्तो के अनुरूप कार्य पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं ली गई।

उपरोक्त स्थिति में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी का पत्रांक–2149 अनु0 दिनांक–02.09.2024 द्वारा एकरारनामा संख्या–13SBD/2019-20 एवं पत्रांक–2150 अनु0 दिनांक–02.09.2024 द्वारा एकरारनामा संख्या–12SBD/2019-20 को विखंडित कर दिया गया।

मुख्य अभियंता–4, पूर्णियाँ, ग्रामीण कार्य विभाग का पंत्राक–1475 अनु0 दिनांक–27.09.2024, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ के पत्रांक–1252 अनु0 दिनांक–10.09.2024 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी के पत्रांक–2221 अनु0 दिनांक–10.09.2024 द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एकरारनामा के अनुसार एकरारित अवधि तक लंबित/अपूर्ण रखने एवं Program of Works के अनुसार समानुपातिक अनुरक्षण कार्य को अपूर्ण/लंबित रखने के कारण संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–3232 दिनांक–16.10.2024 द्वारा 15(पन्द्रह) दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–3437 दिनांक–19.11.2024 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया, फिर भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहने के कारण पुनः संवेदक को अंतिम रूप से विभागीय पत्रांक–3706 दिनांक–17.12.2024 द्वारा स्मारित किये जाने के पश्चात भी संवेदक द्वारा अबतक स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि अपने पक्ष में संवेदक को कुछ नहीं कहना है तथा अकारण अनुरक्षण कार्य लंबित रखने के लिए संवेदक दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11 (क) (vi) के आलोक में संवेदक **Ragini Enterprises /Prop-Ragini Kumari, At –Ward No-01, Po+Ps-Rajwara, Dist-Begusarai, Bihar** के निबंधन संख्या–2180136 को अगले 04(चार) वर्षो के लिए Blacklist किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची–10–66/2024-322 /पटना, दिनांकः–24/01/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची–10–66/2024-322 /पटना, दिनांकः–24/01/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची–10–66/2024-322 /पटना, दिनांकः–24/01/2025

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची–10–66/2024-322 /पटना, दिनांकः–24/01/2025

प्रतिलिपिः– संवेदक **Ragini Enterprises /Prop-Ragini Kumari,** (Regd No-**2180136), At –Ward No-01, Po+Ps-Rajwara, Dist-Begusarai, Bihar** को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

591

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक **Deepak Kumar Pandit,** (Regd No- **2150364**), **At+Post - Kishanpur, Ps-Mahalgaon, Dist- Araria** को कार्य प्रमंडल, **बायसी** के अधीन **योजनाशीर्ष MMGSY(SC)** अन्तर्गत **जियागाछी जाम टोला** तक पथ का निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित था। जिसका एकरारनामा संख्या–63SBD/2018-19 के अनुसार अनुरक्षण कार्य प्रारंभ की तिथि–25.07.2020 एवं अनुरक्षण कार्य पूर्णता की तिथि–24.06.2025 है।

उक्त पथ के कार्य समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य अवर प्रमंडल, बायसी** का पत्रांक–76 दिनांक–07.08.2023, पत्रांक–43 दिनांक–28.07.2023, पत्रांक–365 दिनांक–20.05.2024 एवं पत्रांक–1331 दिनांक–01.06.2024 के माध्यम से संवेदक को रूटीन मेंनटेन्स का कार्य करने हेतु नोटिस किया गया। परन्तु संवेदक द्वारा एकरारनामा शर्तो के अनुरूप कार्य पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं ली गई।

उपरोक्त स्थिति में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी का पत्रांक–2151 दिनांक–02.09.2024 द्वारा एकरारनामा संख्या–63SBD/2018-19 को विखंडित कर दिया गया।

मुख्य अभियंता–4, पूर्णियॉ, ग्रामीण कार्य विभाग का पंत्राक–1475 अनु0 दिनांक–27.09.2024, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियॉ के पत्रांक–1252 अनु0 दिनांक–10.09.2024 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी के पत्रांक–2221 अनु0 दिनांक–10.09.2024 द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एकरारनामा के अनुसार एकरारित अवधि तक लंबित/अपूर्ण रखने एवं Program of Works के अनुसार समानुपातिक अनुरक्षण कार्य को अपूर्ण/लंबित रखने के कारण संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–3231 दिनांक–16.10.2024 द्वारा 15(पन्द्रह) दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–3436 दिनांक–19.11.2024 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया, फिर भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहने के कारण पुनः संवेदक को अंतिम रूप से विभागीय पत्रांक–3705 दिनांक–17.12.2024 द्वारा स्मारित किये जाने के पश्चात भी संवेदक द्वारा अबतक स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि अपने पक्ष में संवेदक को कुछ नहीं कहना है तथा अकारण अनुरक्षण कार्य लंबित रखने के लिए संवेदक दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11 (क) (vi) के आलोक में संवेदक **Deepak Kumar Pandit, At+Post - Kishanpur, Ps- Mahalgaon, Dist- Araria** के निबंधन संख्या–**2150364** को अगले 04(चार) वर्षो के लिए Blacklist किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

590

ज्ञापांकः–मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची–10–66/2024 -323 /पटना, दिनांकः– 24/01/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 23/1/25

ज्ञापांकः–मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची–10–66/2024 -323 /पटना, दिनांकः–24/01/2025

प्रतिलिपिः–अवर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 23/1/25

ज्ञापांकः–मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची–10–66/2024 - 323 /पटना, दिनांकः–24/01/2025

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 23/1/25

ज्ञापांकः–मु0अ0(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची–10–66/2024-323 /पटना, दिनांकः–24/01/2025

प्रतिलिपिः– संवेदक **Deepak Kumar Pandit,** (Regd No- **2150364**), **At+Post - Kishanpur, Ps- Mahalgaon, Dist- Araria** को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 23/1/25

मृगेन्द्र

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक **Punam Shukla, Bireshwar Prasad Shukla, (Regd No- 3220279), At- Vill-Khanjahachak, Urf Saidpur, P.S-Lalganj, Dist- Vaishali, Pincode: 844121** को कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 के अधीन योजनाशीर्ष **MMGSY (SC)** अन्तर्गत **(1) Baghi Chikni Path to Baghi Gopinath** एवं **(2) T03 to Jagdishpur More** तक पथ का निर्माण कार्य आवंटित था जिसके एकरारनामा संख्या–30SBD/2020-21 एवं एकरारनामा संख्या–29SBD/2020-21 के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि–23.06.2020 एवं कार्य पूर्णता की तिथि–22.03.2021 तथा 22.06.2021 है।

उक्त पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा के निर्धारित अवधि अंतर्गत पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1** द्वारा संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु अनेकों बार निदेशित किया गया। परन्तु संवेदक द्वारा एकरारनामा शर्तो के अनुरूप कार्य पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं ली गई।

उपरोक्त स्थिति में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 का पत्रांक–1010 दिनांक–22.06.2023 द्वारा एकरारनामा संख्या–30SBD/2020-21 एवं एकरारनामा संख्या–29SBD/2020-21 को विखंडित किया गया।

मुख्य अभियंता–3 सम्प्रति मुख्य अभियंता–5 मुजफ्फरपुर का पंत्राक–6688 अनु0 दिनांक–24.11.2023, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1569 अनु0 दिनांक–21.11.2023** एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 के पत्रांक–3151 अनु0 दिनांक–21.11.2023** द्वारा निर्माण कार्य को एकरारनामा के अनुसार एकरारित अवधि तक ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराई गई। उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–6500 दिनांक–22.12.2023 द्वारा 15(पन्द्रह) दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–3049 दिनांक–20.09.2024 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया, फिर भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहने के कारण पुनः संवेदक को अंतिम रूप से विभागीय पत्रांक–3334 दिनांक–28.10.2024 द्वारा स्मारित किया गया। संवेदक द्वारा कोई प्रतिउत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। कार्य अपूर्ण रहने के कारण आम जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पाया एवं विभाग की छवि धुमिल हुई है। कार्य पूर्ण नहीं करने हेतु संवेदक दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 कि कंडिका 11 (क) (vi) के आलोक में Punam Shukla, Bireshwar Prasad Shukla, At- Vill-Khanjahachak, Urf Saidpur, P.S-Lalganj, Dist- Vaishali, Pincode: 844121 के **निबंधन संख्या–3220279** को अगले 03(तीन) वर्षो के लिए Blacklist किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)सम्प्रति(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची—10—88/2023-486 /पटना, दिनांकः—31/01/2025

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)सम्प्रति(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची—10—88/2023-486 /पटना, दिनांकः—31/01/2025

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)सम्प्रति(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची—10—88/2023-486 /पटना, दिनांकः—31/01/2025

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)सम्प्रति(नि0एवं0गु0नि0)कालीसूची—10—88/2023-486 /पटना, दिनांकः—31/01/2025

प्रतिलिपिः— संवेदक Punam Shukla, Bireshwar Prasad Shukla, (Regd No- 3220279), At- Vill-Khanjahachak, Urf Saidpur, P.S-Lalganj, Dist- Vaishali, Pincode: 844121 को सूचनार्थ प्रेषित।

31/1/25
अभियंता प्रमुख

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सकारण आदेश

संवेदक **Jitendra Singh, (Regd No-2200836)**, At+P.o-Parsauna, Ps-Sangrampur, Dist-East Champaran, Bihar, Pin-845417 को **कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अधीन MMGSY (SC)** अंतर्गत **एस0एच054 लंगर चौक से उत्तरी अम्बा सिमान** तक पथ निर्माण कार्य आवंटित था, जिसका एकरारनामा संख्या–SBD/MMGSY/09/2019-2020 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि–01.02.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–31.01.2021 थी।

उक्त पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमंडल, शिवहर** द्वारा बार–बार निदेशित करने के बाद भी **संवेदक Jitendra Singh** द्वारा उक्त कार्य में कोई प्रगति नहीं किया गया। पुनः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमण्डल, शिवहर** द्वारा अपने पत्रांक–1576 दिनांक–14.11.2023 द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखंडित कर दिया। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शिवहर ने अपने पत्रांक–1610 अनु0 दिनांक–23.11.2023, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी के पत्रांक–1333 अनु0 दिनांक–28.11.2023 एवं मुख्य अभियंता–3, सम्प्रति मुख्य अभियंता–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6820 अनु0 दिनांक–29.11.2023 द्वारा उक्त संवेदक के **निबंधन सं0–2200836** को कालीसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा की गई।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–6486 दिनांक–22.12.2023 द्वारा पन्द्रह दिनों के अंदर संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपेक्षित समय बीत जाने के बाद भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–1861 दिनांक–09.05.2024 द्वारा स्मारित किया गया, फिर भी उक्त संवेदक द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। फिर विभागीय प्रत्रांक–3207 दिनांक–14.10.2024 द्वारा संवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया, फिर भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष विभाग को समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

अतएव विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली–2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(VI) के आलोक में संवेदक **Jitendra Singh,** At+P.o-Parsauna, Ps-Sangrampur, Dist-East Champaran, Bihar, Pin-845417 के **निबंधन सं0–2200836** को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

(527)

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—84 / 2023 -411 / पटना, दिनांकः—28/01/2025

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / उर्जा विभाग, बिहार, पटना / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—84 / 2023 411 / पटना, दिनांकः—28/01/2025

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—84 / 2023 411 / पटना, दिनांकः—28/01/2025

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—84 / 2023 -411 / पटना, दिनांकः—28/01/25

प्रतिलिपिः—संवेदक **Jitendra Singh, (Regd No-2200836),** At+P.o-Parsauna, Ps-Sangrampur, Dist-East Champaran, Bihar, Pin-845417 को सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/25

अभियंता प्रमुख

SP

(4) 583

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सकारण आदेश

संवेदक **Rajeev Kumar, (Regd No-4210138)**, S/O-Shambhu Nath Chaudhary, Infront Of M.I.T Telephone Exchange Gate Main Road, Bairiya Laxmi Chowk, Brahmpura, Dist-Muzaffarpur, Bihar, Pin-842003 को **कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अधीन MMGSY (Gen.)** अंतर्गत **रामपुर खास पक्की सड़क से नसीर हैदर के घर** तक पथ निर्माण कार्य आवंटित था, जिसका एकरारनामा संख्या–SBD/MMGSY(Gen.)/32/2022-2023 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि–28.03.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–27.09.2023 थी।

उक्त पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही करने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमंडल, शिवहर** द्वारा संवेदक को बार–बार निदेशित करने के बाद भी **संवेदक Rajeev Kumar** द्वारा उक्त कार्य में कोई प्रगति नहीं किया गया। पुनः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमण्डल, शिवहर** द्वारा अपने पत्रांक–1577 दिनांक–14.11.2023 द्वारा संवेदक के एकरारनामा संख्या–SBD/MMGSY(Gen.)/32/2022-2023 को विखंडित कर दिया। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शिवहर ने अपने पत्रांक–1609 अनु0 दिनांक–23.11.2023, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी के पत्रांक–1330 अनु0 दिनांक–28.11.2023 एवं मुख्य अभियंता–3, सम्प्रति मुख्य अभियंता–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6820 अनु0 दिनांक–29.11.2023 द्वारा उक्त संवेदक के **निबंधन सं0–4210138** को कालीसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा की गई।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–6485 दिनांक–22.12.2023 द्वारा पन्द्रह दिनो के अंदर संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपेक्षित समय बीत जाने के बाद भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–1860 दिनांक–09.05.2024 द्वारा स्मारित किया गया, फिर भी उक्त संवेदक द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। फिर विभागीय पत्रांक–3209 दिनांक–14.10.2024 द्वारा संवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया, फिर भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष विभाग को समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

अतएव विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली–2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(VI) के आलोक में संवेदक **Rajeev Kumar,** S/O-Shambhu Nath Chaudhary, Infront Of M.I.T Telephone Exchange Gate Main Road, Bairiya Laxmi Chowk, Brahmpura, Dist-Muzaffarpur, Bihar, Pin-842003 के निबंधन **सं0–4210138** को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)कालीसूची–10–84/2023 - 412 /पटना, दिनांकः–28/01/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)कालीसूची–10–84/2023 - 412 /पटना, दिनांकः–28/01/2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)कालीसूची–10–84/2023 - 412 /पटना, दिनांकः–28/01/2025

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)कालीसूची–10–84/2023 - 412 /पटना, दिनांकः–28/01/2025

प्रतिलिपिः–संवेदक **Rajeev Kumar, (Regd No-4210138)**, S/O-Shambhu Nath Chaudhary, Infront Of M.I.T Telephone Exchange Gate Main Road, Bairiya Laxmi Chowk, Brahmpura, Dist-Muzaffarpur, Bihar, Pin-842003 को सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/25
अभियंता प्रमुख

SP

(6) 581

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सकारण आदेश

संवेदक **Sachchidanand Prasad Singh Suman, (Regd No-4190060)**, At-Vill –Rewa, P.O-Basantpur, P.S-Saraiya, Dist-Muzaffarpur, Bihar, Pin-843101 को कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अधीन **MMGSY (SC)** अंतर्गत **नयागाँव एन0एच0 104 यात्री शेड से भरत राय के डेरा होते हुए भोरहाँ पश्चिम सरपंच जयप्रकाश राय टोला** तक पथ निर्माण कार्य आवंटित था, जिसका एकरारनामा संख्या–SBD/MMGSY/31/2018-2019 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि–19.12.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–18.09.2019 थी।

उक्त पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमंडल, शिवहर** द्वारा बार–बार निदेशित करने के बाद भी **संवेदक Sachchidanand Prasad Singh Suman** द्वारा उक्त कार्य में कोई प्रगति नहीं किया गया। पुनः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमण्डल, शिवहर** द्वारा अपने पत्रांक–1575 दिनांक–14.11.2023 द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखंडित कर दिया। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शिवहर ने अपने पत्रांक–1611 अनु0 दिनांक–23.11.2023, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी के पत्रांक–1331 अनु0 दिनांक–28.11.2023 एवं मुख्य अभियंता–3, सम्प्रति मुख्य अभियंता–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6820 अनु0 दिनांक–29.11.2023 द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन **सं0–4190060** को कालीसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा की गई।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–6488 दिनांक–22.12.2023 द्वारा पन्द्रह दिनों के अंदर संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपेक्षित समय बीत जाने के बाद भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–1863 दिनांक–09.05.2024 द्वारा स्मारित किया गया, फिर भी उक्त संवेदक द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। फिर विभागीय पत्रांक–3208 दिनांक–14.10.2024 द्वारा संवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया, फिर भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष विभाग को समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक को इसके बारे में कुछ नहीं कहना है।

अतएव विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली–2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(VI) के आलोक में संवेदक **Sachchidanand Prasad Singh Suman,** At-Vill –Rewa, P.O-Basantpur, P.S-Saraiya, Dist-Muzaffarpur, Bihar, Pin-843101 के **निबंधन सं0–4190060** को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

28/1/25

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

SP

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—84/2023 - 410 /पटना, दिनांकः—28/01/2025

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—84/2023 - 410 /पटना, दिनांकः—28/01/2025

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—84/2023 410 /पटना, दिनांकः—28/01/2025

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—84/2023 410 /पटना, दिनांकः—28/01/2025

प्रतिलिपिः—संवेदक **Sachchidanand Prasad Singh Suman, (Regd No-4190060)**, At-Vill –Rewa, P.O-Basantpur, P.S-Saraiya, Dist-Muzaffarpur, Bihar, Pin-843101 को सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/25

अभियंता प्रमुख

SP

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
:: आदेश ::

पटना, दिनांक....................

संoसंo— 04/विo—16—87/2023................./स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, 2024 में परीक्षा एजेंसी M/s Sify Digital Service Ltd., Chennai द्वारा विभिन्न विषयों में प्रश्नों की पुनरावृति एवं अन्य विसंगतियों के कारण परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक 714 दिनांक 26.10.2024 द्वारा परीक्षा एजेंसी M/s Sify Digital Service Ltd., Chennai के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त क्रम में विभागीय पत्रांक 2355 दिनांक 01.11.2024 द्वारा उक्त परीक्षा एजेंसी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। परीक्षा एजेंसी M/s Sify Digital Service Ltd., Chennai द्वारा समर्पित किये गये स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 2495 दिनांक 26.11.2024 द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मन्तव्य मांगी गयी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के पत्रांक 5843 दिनांक 03.12.2024 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक 784 दिनांक 16.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में M/s Sify Digital Service Ltd.Chennai द्वारा भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये Question Code को बदलने, Software की गड़बड़ी एवं इस कार्य के लिए M/s Sify Digital Service Ltd., Chennai के द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी की अक्षमता का उल्लेख करते हुए उक्त परीक्षा के आयोजन में M/s Sify Digital Service Ltd., Chennai के लापरवाही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने की सूचना राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के द्वारा विभाग को दी गयी है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के पुनरावृति संबंधी त्रुटि एवं परीक्षा एजेंसी के द्वारा पर्याप्त तकनीकी एवं मानव संसाधन की व्यवस्था नहीं किये जाने हेतु संबंधित परीक्षा एजेंसी M/s Sify Digital Service Ltd.Chennai की लापरवाही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

अतएव वर्णित स्थिति में परीक्षा एजेंसी M/s Sify Digital Service Ltd., Chennai द्वारा विभाग के साथ किये गये एकरारनामा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है साथ ही इस परीक्षा एजेंसी को विभाग के काली सूची में दर्ज (Black Listed) किया जाता है।

2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
(संजय कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक :— 04/वि0—16—87/2023..................../ पटना, दिनांक...............................

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/सभी निदेशक/निदेशक, मध्याहन भोजन योजना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी उप निदेशक/सभी अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार)
अपर सचिव

(576)

ज्ञापांक :– 04/वि0–16–87/2023.....2723...../पटना, दिनांक.....31.12.2024.....

प्रतिलिपिः– सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

31.12.24

अपर सचिव

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका सं0-12/वि0-230/2024- पटना, दिनांक-

विषय: संवेदक श्री उपेन्द्र उमेश प्रसाद शर्मा, कोतवाली चौक, अन्नपूर्णा मंदिर, भागलपुर (सूचीबद्धता संख्या-34/2020) को बांका जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु ई0 निविदा सूचना संख्या-16/2024-25 (MBF) ग्रुप संख्या-F-14 के प्रावधानों के तहत एकरारनामा नहीं करने के लिए मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत संवेदक श्री उपेन्द्र उमेश प्रसाद शर्मा, कोतवाली चौक, अन्नपूर्णा मंदिर, भागलपुर (सूचीबद्धता संख्या-34/2020) को हर घर नल का जल निश्चय के तहत भू-जल गुणवत्ता प्रभावित वार्डो में छूटे हुए टोले/बसावटों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत फ्लोराईड रिमूवल ट्रीटमेंट यूनिट के साथ पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं पाँच वर्षो के लिए रख-रखाव हेतु ई0 निविदा सूचना संख्या-16/2024-25 (MBF) ग्रुप संख्या-F-14 में न्यूनतम निविदाकार होने के कारण कार्य आवंटित किया गया था।

परंतु निर्धारित समय पर संवेदक द्वारा एकरारनामा संपादित नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका के पत्रांक-1789 दिनांक-25.07.2024 द्वारा एकरारनामा करने हेतु अनुरोध किया गया। पुन: पत्रांक-1990 दिनांक-07.08.2024 द्वारा स्मारित किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक से कई बार व्यक्तिगत रूप से मोबाईल के माध्यम से संपर्क स्थापित किया गया। उक्त स्मार एवं अनुरोध के बावजूद भी संवेदक द्वारा एकरारनामा संपादन में अभिरूची नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता के कार्यालय आदेश-91-सह-पठित ज्ञापांक-3020 दिनांक-15.11.2024 के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर के पत्रांक-1103 दिनांक-19.12.2024 के माध्यम से संवेदक को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-20 दिनांक-03.01.2025 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके आलोक में संवेदक का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर के बैठकों में भी उक्त कार्य हेतु संबंधित संवेदक को लगातार निदेशित किया गया, परन्तु एकरारनामा के प्रति प्रतिबद्धता प्रमाणित करने में फर्म विफल रहा।

पुन: क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा में उल्लेखित बिंदूओं की समीक्षा भी की गई। तदोपरांत यह पाया गया कि विभागीय पत्रों एवं स्मारों के बावजूद भी निविदा सूचना संख्या-16/2024-25 (MBF) ग्रुप संख्या-F-14 के तहत संवेदक द्वारा एकरारनामा संपादन में शिथिलता बरती गई है।

अत: क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) (Viii) ''कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना'' हेतु संवेदक

573

श्री उपेन्द्र उमेश प्रसाद शर्मा, कोतवाली चौक, अन्नपूर्णा मंदिर, भागलपुर, बिहार पिन-812001 (सूचीबद्धता संख्या-34/2022) को 03 वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है।

इस पर अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का अनुमोदन प्राप्त है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/- 10/01/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-230/2024- 63 पटना, दिनांक- 10.01.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/01/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-230/2024- 63 पटना, दिनांक- 10.01.25

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/01/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक-12/वि0-230/2024- 63 पटना, दिनांक- 10.01.25

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बांका/संवेदक श्री उपेन्द्र उमेश प्रसाद शर्मा, कोतवाली चौक, अन्नपूर्णा मंदिर, भागलपुर, बिहार, पिन 812001 (सूचीबद्धता संख्या-34/2020) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/01/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-230/2024- 63 पटना, दिनांक- 10.01.25

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/01/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका सं0-12/वि0-233/2024- 15 पटना, दिनांक- 03/01/25

विषय: मेसर्स **SBD Green Energy and Infra India Pvt. Ltd. 349, Sector-40, Gurugram, Hariyana, Pin-122001** (सूचीबद्धता संख्या-901/2019) को बांका एवं अररिया जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु कृत एकरारनामा के तहत आवंटित कार्य निष्पादन में चूक के लिए मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र पूर्णियाँ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में फर्म को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत संवेदक **मेसर्स SBD Green Energy and Infra India Pvt. Ltd. Ltd. 349, Sector-40, Gurugram, Hariyana, Pin-122001** (सूचीबद्धता संख्या-901/2019) को **एकरारनामा संख्या-SBD-04/2019-20** के तहत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट अंतर्गत धोरैया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में योजनाओं का संचालन तथा मरम्मति एवं संपोषण का कार्य आवंटित है।

कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के पत्रांक-808 दिनांक-30.05.2023, पत्रांक-1547 दिनांक-27.09.2023, पत्रांक-19. दिनांक-15.01.2024, पत्रांक-166 दिनांक-20.01.2024 पत्रांक-645 दिनांक-30.03.2024 द्वारा दिये गये निदेश के बाद भी फर्म द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य नहीं करने तथा विभागीय निदेशों का अक्षरश: अनुपालन नहीं करने के कारण योजना की क्रियाशीलता एवं अनुश्रवण पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिपथ रखते हुए कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट तथा अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर द्वारा पत्रांक-1060 दिनांक-14.12.2024 के माध्यम से फर्म को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा की गई है।

इसी प्रकार, फर्म को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, फारबिसगंज अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल के तहत जलापूर्त्ति योजना का कार्य आवंटित है। परन्तु कार्यपालक अभियंता के अनेक स्मारों के बावजूद भी फर्म द्वारा क्रियान्वित योजना को बंद रखने के साथ-साथ मरम्मति एवं संपोषण कार्य में अभिरूची नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र पूर्णियाँ के पत्रांक-833 दिनांक-18.12.2024 के माध्यम से फर्म को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक-20.11.2024 एवं दिनांक-21.11.2024 को राज्य स्तरीय जाँच के क्रम में भी संवेदक द्वारा संचालित कुल 12 योजनायें बंद पाई गई। तदक्रम में विभागीय पत्रांक-1211 दिनांक-12.12.2024 द्वारा भी फर्म को अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु फर्म उक्त के संबंध में अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहे।

इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर के बैठकों में भी उक्त कार्य हेतु संबंधित फर्म को लगातार निदेशित किया गया, परन्तु एकरारनामा के प्रति प्रतिबद्धता प्रमाणित करने में फर्म विफल रहा।

पुनः क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा में उल्लेखित बिंदूओं की समीक्षा भी की गई। तदोपरांत यह पाया गया कि संपादित एकरारनामा में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में

शिथिलता बरती गई है। विभागीय मुख्यालय स्तर पर भी दिये गये अनुदेशों के अनुपालन में भी एजेंसी के शीर्ष प्रबंधन के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन के बावजूद भी कोई सार्थक पहल नहीं किया गया है।

अत: क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र पूर्णियाँ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत मामले में एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक हेतु बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका- 11 क (ii) के आलोक में **मेसर्स SBD Green Energy and Infra India Pvt. Ltd. Ltd. 349, Sector-40, Gurugram, Hariyana, Pin-122001 (सूचीबद्धता संख्या-901/2019)** को 05 वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है।

इस पर अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अभय कुमार सिंह) 03/01/25
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-233/2024- 15 पटना, दिनांक- 03/01/25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह) 03/01/25
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-233/2024- 15 पटना, दिनांक- 03/01/25

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह) 03/01/25
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक-12/वि0-233/2024- 15 पटना, दिनांक 03/01/25

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट/फारबिसगंज/मेसर्स **SBD Green Energy and Infra India Pvt. Ltd. Ltd. 349, Sector-40, Gurugram, Hariyana, Pin-122001 (सूचीबद्धता संख्या-901/2019)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह) 03/01/25
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-233/2024- 15 पटना, दिनांक- 03/01/25

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह) 03/01/25
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

आ0सं0:—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—07 / 2024............................दिनांक—

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

बिहार विद्यालय, परीक्षा समिति, पटना के फेज—II के अन्तर्गत सिन्हा लाईब्रेरी रोड स्थित मुख्य भवन के परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन के छत के पर प्री—फैब Structure का एक अतिरिक्त तल का निर्माण कार्य से संबंधित निविदा में फर्जी / जाली दस्तावेज अपलोड करने कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक—2577 दिनांक—05.07.2024 द्वारा संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO- Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली—2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक—13.09.2024 को अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण / निलंबन कालीकृत संबंधी बैठक हुई, जिसमें समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया है । तदालोक में विभागीय पत्रांक—8348(भ) दिनांक—17.10.2024 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त स्पष्टीकरण का जवाब संवेदक से प्राप्त है।

पुनः दिनांक—17.12.2024 को अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण / निलंबन कालीकृत संबंधी बैठक हुई, जिसमें संवेदक के स्पष्टीकरण पर विचार किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को दो वर्षो के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया ।

अतः संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO- Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या—BCD-Class-II/2230314 को आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए निलंबित किया जाता हैं ।

ह0 / —

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—07 / 2024........................ पटना,दिनांक—

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः—संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO-Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या—BCD-Class-II/2230314 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—07 / 2024.....77(1).....पटना,दिनांक 02/1/25

प्रतिलिपिः—सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव